


मसूदा

454/11/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रवण व/बालू वगैरे

| पेशी | क्र. सं. | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर | R-ए नं. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---------|------------|--|---------------|---|
| 30/9/21 | 2011/00054 | श्री के.के. पुरोहित | R-ए 114 नं. 3 | 2 |
| | | <p>श्रवण बनाम बालू वगैरेह</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 01से 5 एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 01से 05ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उषखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष विचाराधीन मूल वाद संख्या-62/2007 का निस्तारण दिनांक 04.08.2017 को किया जा चुका है। चूंकि यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की है जो सारहीन हो चुकी है खारिज फरमायी जावे।</p> <p>अतः अभिभाषक उभयपक्ष के कथनानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p> | | |